न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2017 / 00274 / 223

1. मृतक भंवरलाल पुत्र मंगा (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1 / 1— रघुनाथ पुत्र भंवरलाल,
   1 / 2— कमला पुत्री भंवरलाल,
   1 / 3— नैनी देवी पुत्री भंवरलाल,
   1 / 4— पारसी पुत्री भंवरलाल,
   1 / 5 —प्रेम पुत्री भंवरलाल,
2. सुशीला पत्नि कैलाश,
3. सुरेश पुत्र कैलाश,
4. मुकेश पुत्र कैलाश जरिये सरंक्षक माता सुशीला,
5. रूकमा पत्नि चम्पालाल,
6. सोनू (मोनू) पुत्र चम्पालाल
7. रवि पुत्र चम्पालाल जरिये माता रूकमा,
8. पारसमल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7 / 1— विमला पत्नि पारसमल,
   7 / 2— दुर्गा पुत्री पारसमल,
   7 / 3— पिंकी पुत्री पारसमल,
   7 / 4— दिनेश पुत्र पारसमल
   निवासी ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. इन्द्र कंवर पत्नि मधुसुदन,
2. राजेन्द्र पुत्र मधुसुदन,
3. भरतेन्द्र कंवर पुत्री मधुसुदन,
4. गिरवर पुत्र मधुसुदन,
5. शर्मिला पत्नि गिरवर,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
6. लाली (प्रथम) पुत्री चम्पालाल,
7. लाली (द्वितीय) पुत्री चम्पालाल,
8. मंजू पुत्री चम्पालाल,
9. आचुकी पुत्री चम्पालाल,
   निवासी ग्राम पीसांगन, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
10. एस0बी0बी0जे0 शाखा, पीसांगन, जिला अजमेर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 30.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 95 / 2013.

उपस्थितः—

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांटस ।
2. श्री तेजेन्द्रसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 6 से 10 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 05.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 के पिता एवं रेस्पो0 संख्या 5 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीसांगन, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर अवस्थित खसरा नंबर 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120 में वादी का 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 13 का 1/3 हिस्सा निहित करता है जिसका आज दिवस तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है । इस कारण आये दिन प्रतिवादी संख्या 1 से 13 उक्त अविभाजित भूमि के संयुक्त कब्जे काश्त में झगड़ा फसाद करते है जिससे संयुक्त काश्त करना असंभव है। अतः वाद को स्वीकार कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस विधिक विभाजन कराने के आदेश पारित करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 2.6.2015 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार कर वाद में विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत दिनांक 30.6.2016 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.6.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री राजस्थान राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार नहीं है एवं इन नियमों की पालना नहीं की गई है । इस कारण अंतिम डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । तहसीलदार ने मौके पर जाकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार नहीं की है जबकि तहसीलदार स्वंय को मौके पर जाकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी । इस बिन्दु पर अधी0न्याया0 ने गौर न कर अंतिम डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में यह भी कथन किया कि कुरेजात रिपोर्ट तैयार करते समय सभी पक्षकारों को सूचना प्रदान नहीं की गई तथा कुरेजात रिपोर्ट पक्षकारान की पीठ पीछे तैयार की गई है । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण प्रतिवादी संख्या 15 के जवाब हेतु विचाराधीन था जिसमें आगामी पेशी दिनांक 10.6.2015 नियत की गई लेकिन पत्रावली दिनांक 2.6.2015 में ही लेकर प्रकरण का निस्तारण अपीलांटस के विरूद्ध कर दिया गया । न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दावा प्रस्तुत होने पर जवाबदावा प्रस्तुत होने के लिए पत्रावली नियत की जाती है उसके पश्चात् पत्रावली वादी व प्रतिवादी के लिए तनकियात हेतु नियत की जाती है तत्पश्चात् वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य ली जाकर निर्णय पारित किया जाता है लेकिन अधी0न्याया0 ने जाप्ता दीवानी के प्रावधानों को नजरअंदाज कर प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दस्तावेजों को प्रदर्शित कराये बिना तथा वादी की साक्ष्य लिए बिना वाद डिक्री किया है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.6.2016 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रार्थीगण/अपीलांटस की पीठ पीछे पारित की गई है जो पेटेन्ट इल्लीगल निर्णय व डिक्री की परिभाषा में आती है एवं ऐसे निर्णय को चुनौती दिये जाने की कानूनन कोई समयावधि नहीं है । प्रार्थीगण ने दिनांक 8.9.2017 को आक्षेपित निर्णय व डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 11.9.2017 को नकल प्राप्त हुई तत्पश्चात् नकल लेकर प्रार्थीगण अपने गांव चले गये तथा फीस एवं खर्चे की व्यवस्था कर दिनांक 29.10.2017 को अजमेर आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 5 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है जिसमें वादीगण/रेस्पो0 का 2/3 हिस्सा तथा अपीलांटस का 1/3 हिस्सा निहित है । वादीगण/रेस्पो0 संयुक्त खातेदारी की आराजियात का विधिक विभाजन कराने के अधिकारी है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांटस को वाद के सम्मन/नोटिस जारी किये गये थे किन्तु अपीलांटस/प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अधी0न्याया0 के समक्ष अनुपस्थित रहे । इसी कारण अधी0न्याया0 ने अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये थे जो विधिसम्मत् आदेश है । अधी0न्याया0 ने तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की अंतिम डिक्री पारित की है। अपीलांटस ने अपनी अपील में कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि विभाजन की अंतिम डिक्री में उसके पक्ष में कम अथवा खराब आराजी रखी गई है। । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के जो कारण अंकित किये है उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब न्यायहित में क्षम्य किया जाकर अपील अंदर यिमाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणागुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 2.6.2015 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 का वाद स्वीकार कर वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार, पीसांगन को आदेश दिये कि उक्त प्रकरण में मुताबिक वर्तमान जमाबंदी के उभयपक्ष की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। तत्पश्चात् दिनांक 30.6.2016 को अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित करते हुए कि वादी अभिभाषकगण उपस्थित । प्रतिवादी संख्या व 4 ने उपस्थित होकर तहसीलदार, पीसांगन द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार ही अंतिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया । अतः उभयपक्ष के सहमत होने से कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार ही डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 30.6.2016 को वाद में अंतिम डिक्री पारित की है । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री राजस्थान राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के नियमों की पालना नहीं की गई है । तहसीलदार ने मौके पर जाकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार नहीं की

है जबकि तहसीलदार स्वंय को मौके पर जाकर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी किन्तु तहसीलदार ने पटवारी हल्का पीसांगन द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 7.8.2015 को अधी0न्याया0 को प्रेषित किया है। अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 7.8.2015 का अवलोकन किया गया । उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का, पीसांगन द्वारा तैयार की गई है जिसमें पटवारी हल्का ने स्पष्ट अंकित किया है कि तहसील के पत्र क्रमांक भू.अ./डिक्री/लो./15/4553 दिनांक 17.7.2015 की पालना में ग्राम पीसांगन के हाल खसरा नंबर 1114, 1115, 1116, 1117, 1119 व 1120 का प्रस्तावित बंटवारा वादीगण की उपस्थिति में तैयार किया गया है । उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि वादीगण के बताये अनुसार तैयार किया गया है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व प्रतिवादीगण/अपीलांटस को मौके पर उपस्थित होने बाबत् नोटिस जारी किये गये थे अथवा नहीं । मान.0 राजस्व मण्डल ने अपने निर्णयों में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि बंटवारे के प्रस्ताव स्वंय तहसीलदार द्वारा समस्त पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार किये जावे किन्तु हस्तगत प्रकरण में तैयार कुरेजात रिपोर्ट स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार न की जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है तथा पटवारी हल्का की एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित अंतिम डिक्री को भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विवादित आराजियात के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.6.2015 के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 2017/00275 बउनवान मृतक भंवरलाल पुत्र मंगा व अन्य बनाम इन्द्र कंवर व अन्य प्रस्तुत की गई थी जिसे न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 05.02.2021 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया गया है । जब अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 2.6.2016 निरस्त हो चुकी है तो उसके आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.6.2016 भी स्वतः ही सारहीन हो जाती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.6.2016 निरस्त योग्य पायी जाती है।

9. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 30.6.2016 निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर